आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री जग्गु राम पिता स्व0 शोभी राम, निवास स्थान ग्राम-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-23, प्लॉट संख्या-1759, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि श्रीमती भाग्यवती कुमारी पति श्री बासुदेव राम, निवास स्थान ग्राम-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON21012703 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-45/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 122/रा0 दिनांक 08.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 631 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत गोखुल दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 6.23 एकड़ है। पंजी-II के अनुसार धारित कुल रकवा 0.4168 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-135/I पर मसो0 कमली वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादी हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.3668 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिकागण के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1426 दिनांक 07.09.2022 से प्रश्नगत् भूमि का प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जग्गु राम पिता स्व0 शोभी राम का शपथ-पत्र संख्या-20770 दिनांक 16.08.2022 भी प्राप्त है, जिसमें उल्लेखित है कि मौजा-हुरहुरू, थाना संख्या-147, खाता संख्या-23, प्लॉट संख्या-1759, रकवा-21डी0 मधे रकवा 05डी0 भूमि उनके परदादा गोखुल दुसाध के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है एवं उपरोक्त सम्पति का सरकारी रसीद उनके परदादी मो0 कमली पति गोखुल दुसाध के नाम से निर्गत् होते चला आ रहा है। परदादा, दादा एवं पिता के मृत्यु के पश्चात् आपसी घरेलु बँटवारा के अनुसार उपरोक्त जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं। अभी भी भूमि उनके दखल कब्जा में है। भूमि संबंधी किसी तरह का वाद-विवाद होता है तो उसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री जग्गु राम पिता स्व0 शोभी राम, निवास स्थान ग्राम-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-23, प्लॉट संख्या-1759, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि श्रीमती भाग्यवती कुमारी पति श्री बासुदेव राम, निवास स्थान ग्राम-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15/9/22

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.16 14:57:33 +05:30
Location: 192.168.100.2